बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय – विद्यापति मार्ग, पटना–800001

डॉ0 विनोद कुमार मुक्ता

प्रधान महासचिव

मो0 7488601083

e-Mail : bvapatna@gmail.com

पत्रांक- 81 **दिनांक-** 1.9.20

सेवा में,

मुख्य सचिव,

बिहार, पटना।

स्मार

विषयः– **जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया द्वारा डा0 प्रकाश सिंह बादल का गलत तरीके से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में।**

प्रसंगः– बिहार पशुचिकित्सा संघ के पत्रांक 20, दिनांक 19.03.2020 तथा **क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का ज्ञपांक – 764, दिनांक 16.09.2019 (छायाप्रति संलग्न)।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अत्यन्त खेदजनक परिस्थिति में आपको सादर सूचित करते हुए कहना है कि नोडल पदाधिकारी, APEDA, Meetnet, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा डॉ प्रकाश सिंह बादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फॉरविसगंज, अररिया को मे0 अल–समीर, एक्सपोर्ट्स प्रा0 लि0–गोगी, पोठिया प्लांट, फॉरविसगंज के संचालन हेतु निदेशालय के पत्रांक – 126, इिनांक 10.11.2016 द्वारा अधिकृत किया गया था, जिसको जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया द्वारा उनके कार्यालय का पत्रांक – 879, दिनांक – 28.06.2019 द्वारा डा0 बादल की जगह गलत तरीके से मनमाने रुप में डॉ0 विजय कुमार आनन्द, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, परसाहाट को प्रतिनियुक्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक – 764, दिनांक 16.09.2019 द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी के इस कृत को अपने अधिकार क्षेत्रा से बाहर की गयी कार्रवाई मानते हुए उसमें सुधार हेतु आदेश निर्गत किया गया। इन सब के बावजूद बिना पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना से सहमति लिये गलत तरीके से APEDA, Meetnet, पर डॉ0 विजय कुमार आनन्द का ID, generate कर कार्य लिया जा रहा है; जो स्वस्थ परम्परा का सूचक नहीं है।

अतः श्री मान् से अनुरोध होगा कि गलत ढ़ंग से किये गये कृत की जाँच करवाते हुए न्यायोचित कार्रवाई हेतु संबंधित पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग /प्रभाग समुचित निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

बिहार पशुचिकित्सा संघ, बिहार

कार्यालय–संघ भवन, विद्यापति मार्ग, पटना–800001

पत्रांक 20 / दिनांक 19/03/2020

सेवा में,

निदेशक,

पशुपालन, बिहार, पटना।

विषयः– **जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया द्वारा डॉ0 प्रकाश सिंह बादल का गलत तरीके से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में।**

प्रसंग– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया का ज्ञापांक–764 दिनांक–16.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नोडल पदाधिकारी, APEDA, Meetnet, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा डॉ0 प्रकाश सिंह बादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फॉरबिसगंज, अररिया को मे0 अल–समीर, एक्सपोर्ट्स प्रा0लि0–गोगी, पोठिया प्लांट, फॉरबिसगंज के संचालन हेतु निदेशालय के पत्रांक–126 दिनांक–10.11.2016 द्वारा अधिकृत किया गया था, जिसको जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया द्वारा उनके कार्यालय का पत्रांक–879 दिनांक–28.06.2019 द्वारा डॉ0 बादल की जगह गलत तरीके से मनमाने रुप में डॉ0 विजय कुमार आनन्द, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, परसाहाट को प्रतिनियुक्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णिया प्रमण्डल के द्वारा पत्रांक–764 दिनांक–16.09.2019 जिला पशुपालन पदाधिकारी के इस कृत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की गयी कार्रवाई मानते हुए उसमें सुधार हेतु आदेश निर्गत किया गया। इन सब के बावजूद बिना निदेशालय से सहमति लिये गलत तरीके से APEDA, Meetnet, पर डॉ0 विजय कुमार आनन्द का I.D. generate कर कार्य लिया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि गलत ढंग से किये गये कृत की जाँच करवाते हुए न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(डॉ0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

मो0–7488601083

कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ।

आदेश

डा0 प्रकाश सिंह बादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फारबिसगंज, डा0 प्रमोद प्रसाद मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी अररिया एवं श्री राज कुमार रोशन, डाटा ईंट्री ऑपरेटर का एक दूसरे के विरूद्ध आरोप–प्रत्यारोप से अररिया जिला में नाजुक स्थित को देखते हुए उपरोक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उनसे प्राप्त कागजातों के अवलोकनोपरांत निम्नांकित निदेश निर्गत किए जाते हैं –

1. डा0 प्रकाश सिंह बादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का संपादन सही तरीके से करेंगे एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के निदेशानुसार लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष ध्यान देंगे।

2. श्री राज कुमार रोशन, डाटा ईंट्री ऑपरेटर, पशु चिकित्सालय फारबिसगंज समय पर चिकित्सालय आऍंगें एवं अपने नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार विभागीय कार्यो का सम्पादन करेंगें।

3. डा0 प्रमोद प्रसाद मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी अररिया निहित प्रशासनिक शक्ति के अंदर ही कार्य करेंगें। अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की गयी इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति निदेशक, पशुपालन बिहार, पटना के आदेश की अवहेलना होगी। यदि कार्य हित में इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति आवश्यक हो, तब ऐसा करने के पूर्व निदेशक, पशुपालन बिहार, पटना से अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। पशु चिकित्सकों को उनके पदस्थापित पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कार्य आवंटित करते समय पशु चिकित्सालय की दूरी को ध्यान में रखेंगें ताकि पशु चिकित्सालय का मूल कार्य प्रभावित न हो। पूर्व में की गयी इस तरह की व्यवस्था में अपने स्तर से आवश्यक सुधार कर लेंगे।

विश्वासभाजन

Sd/-
क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन
पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक–764 / दिनांक 16/09/19

प्रतिलिपि –श्री राज कुमार रोशन, डाटा ईंट्री ऑपरेटर, पशु चिकित्सालय फारबिसगंज / डा0 प्रकाश सिंह बादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फारबिसगंज / डा0 प्रमोद प्रसाद मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.09.19

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन
पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ।

16/09/19